न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मुकं0 ..... सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
04.06.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलान दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 12.7.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी 1191/809/0.1000 है0 वाके ग्राम जाटूवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे अपने घरो का गंदा पानी ना छोडे/निकाले, ना ही प्रार्थीगणो के कब्जा काश्त में मजाम्हत व मदालखत पैदा करे, ना प्रार्थीगणो को अपनी विवादित आराजी मे निर्माण कार्य करने से रोके, ना प्रार्थीगणो को निर्माण कार्य करने मे कोई किसी भी प्रकार की बाधा व रुकावट पैदा करे, ना विवादीत आराजी पर अपना जब्रन कब्जा करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 12.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम	
12/7	वादी एवं वकील पत्रावली दिनांक 6/9/21 के पेश हो	
6/9/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-2 [illegible] नहीं। [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:00:25 IST
Reason: SelfAttested